पत्रांक 2266 /एम एस कैम्प/20
दिनांक 23-10-19

**माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों में पारित आदेशों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक–17.10.2019 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।**

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन की स्थिति के अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक–17.10.2019 को अपरान्ह 01:00 बजे समीक्षा बैठक आहूत की गई। आदेशों का विवरण निम्नवत् है :–

(1) ओ0ए0 सं0– 231/2014, दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–20.09.2019

(2) ओ0ए0 सं0– 06/2012, मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 11.09.2019

C-1/2/3/4/ (3) ओ0ए0 सं0– 606/2018, Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक– 12.09.2019

5/6/7/202 (4) ओ0ए0 सं0– 116/2014, मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन व अन्य में पारित आदेश दिनांक–27.09.2019

M (5) ओ0ए0 सं0– 985/2019, In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re. Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक– 27.09.2019

23-10-19

उक्त बैठक की उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

2– प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन ने मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेशों में दिये गये निर्देशों का विवरण बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 04.10.2019 में समस्त संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए टैम्पलेट पर अनुपालन आख्या दिनांक 10.10.2019 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु संबंधित विभागों से वांछित समस्त अनुपालन आख्याएँ/पूर्ण सूचनाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

i. **ओ0ए0 सं0– 231/2014, दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य आदेश दिनांक– 20.09.2019 (हिण्डन नदी में प्रदूषण के संबंध में)**

**(क). प्रभावित ग्रामों में पाईप्ड वाटर सप्लाई (PWS) की व्यवस्था।**

जनपद– सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत एवं गाजियाबाद के प्रभावित 148 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में मा0 अधिकरण द्वारा समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि 43 ग्रामों में पाईप्ड

(8)

जलापूर्ति (PWS) की जा रही है, 22 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है, 38 ग्रामों के लिए टेण्डर अप्रूव हो चुके हैं, 13 ग्रामों के लिए टेण्डरिंग प्रकिया प्रगति पर है। 32 ग्रामों में से 30 ग्रामों की डीपीआर दिनांक 14.10.2019 में अनुमोदित की जा चुकी है। 01 ग्राम विराल, जनपद बागपत में स्थित है, उसमें भूमि की उपलब्धता न होने के कारण डीपीआर नहीं बनायी जा सकी है। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि दिसम्बर, 2020 तक 103 ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ हो जाएगी। उ0प्र0 जल निगम द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि प्रभावित 1056 ग्रामों में मानक के अनुसार 4790 हैण्ड पम्प की आवश्यकता के सापेक्ष 9056 हैण्ड पम्प स्थापित हैं। मार्च, 2018 के बाद कुल 251 हैण्ड पम्प्स के जल की जॉच की गयी। जॉच में जल गुणवत्ता उचित पायी गयी है। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मेरठ के अन्तर्गत स्थित ग्राम हारा टाउन एरिया कमेटी है, जिसका डीपीआर शासन में प्राप्त हुआ है तथा जिसमें अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ग्राम विराल में पेयजल आपूर्ति हेतु डीपीआर बनाये जाने के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जाए। दिसम्बर 2020 तक समस्त प्रभावित ग्रामों में पाईप्ड जलापूर्ति सुनिश्चित किए जाने एवं इण्टरमीडिएट माइल स्टोन तैयार कर कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जाय। समस्त प्रभावित गांवों जिनमें पाईप्ड पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पायी है, उनमें टैंकरों से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

**(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/ प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)**

**(ख). प्रभावित ग्रामों के स्वास्थ्य कैम्पों में पाए गए गंभीर बीमारी यथा कैंसर के मरीजों के उपचार के संबंध में।**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रभावित ग्रामों में वर्ष 2019 में हैल्थ चैकअप कैम्प लगाए गए थे, जिनमें से 174 कैंसर पेशेन्ट पाए जाने की सूचना यद्यपि प्राप्त हुई है, परन्तु मरीजों के उपचार का पूर्ण विवरण प्रेषित नहीं किया गया है। आयोजित किए गए कैम्प एवं गंभीर रोगियों के उपचार की पूर्व सूचना से भिन्नताऐं भी पायी गयी हैं। उक्त के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि गंभीर रोग तथा कैंसर के मरीजों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने तथा जनपदों में लगाए गए कैम्प एवं कैंसर के मरीजों का जिन अस्पतालों में उपचार चल रहा है, का पूर्ण विवरण दिनांक 18.10.2019 तक प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करा दिया जाय। प्रभावित गांवों में लगातार स्वास्थ्य कैम्प आयोजित कराये जाय तथा गम्भीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों की स्पेशियलिटी अस्पतालों में उपचार सुनिश्चित कराया जाय।

**(कार्यवाही– प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन)**

(ग). **प्रस्तावित एस0टी0पी0 के निर्माण में विलम्ब तथा एस0टी0पी0 की स्थापना होने तक तात्कालिक व्यवस्था के रूप में बायोरेमिडएशन की व्यवस्था किए जाने के संबंध में।**

उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सहारनपुर में प्रस्तावित 93.65 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के लिए डीपीआर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के स्तर से तैयार की जा रही है। बुढ़ाना 10 एम0एल0डी0 एवं मुजफ्फरनगर 22 एम0एल0डी0 के लिए बिड प्राप्त हो गयी है तथा तकनीकी परीक्षण प्रगति पर है। बायोरेमिडिएशन के लिए टेण्डर आमंत्रित किए गए हैं। बायो रेमिडिएशन का कार्य माह नवम्बर–2019 से प्रारम्भ किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर एवं बुढ़ाना में प्रस्तावित उक्त दोनों एस0टी0पी0 एक ही पैकेज में सम्मिलित हैं जिनकी निविदा प्रकिया गतिमान है। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य निर्धारित टाईमलाईन में पूर्ण कर लिया जायेगा।

सम्यक् विचरोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सहारनपुर एस0टी0पी0 की डीपीआर को शीघ्र तैयार कराये जाने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अनुरोध किया जाये तथा एस0टी0पी0 निर्माण की योजना में निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के अनुरूप अंतरिम माईल स्टोन प्रदर्शित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 18.10.2019 तक प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जाय। पीरिओडिकल माईलस्टोन के आधार पर प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन नियमित अनुश्रवण कर रिपोर्ट प्रेषित करेंगे तथा विलम्ब पाये जाने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। बायो–रेमिडिएशन का कार्य माह नवम्बर–2019 से अवश्य प्रारम्भ कर लिया जाये तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बायो–रेमिडिएशन कार्य का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

**(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**

(घ) **हिण्डन नदी के प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक्शन प्लान के कियान्वयन, मॉनीटरिंग व्यवस्था एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की रिकवरी के संबंध में।**

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में हिण्डन नदी के प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदनोपरान्त संबंधित विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय अनुश्रवण तंत्र एवं एक वेब पोर्टल "U.P. Environmental Compliance Portal" (www.upecp.in) विकसित किया गया है। दोषी उद्योगों/संस्थाओं के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 9.4 करोड़ के सापेक्ष रूपये 2.75 करोड़ की

रिकवरी की जा चुकी है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सम्यक् विचरोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा जिन उद्योगों/संस्थाओं द्वारा क्षतिपूर्ति जमा नहीं की जाती है, के विरूद्ध सहमति रिवोक कर जल अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही एवं भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

**(कार्यवाही–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिलाधिकारी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद)**

**(ड़) रूपये 05 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा करने के संबंध में।**

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा रूपये 05 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा किए जाने के संबंध में आदेश दिनांक 15.03.2019 पारित किए गए थे। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2019 के अनुपालन में रूपये 5 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा किए जाने का कार्य लम्बित है। मा0 अधिकरण द्वारा परफार्मेंस गारण्टी जमा न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया है तथा परफार्मेंस गारण्टी को जमा करने से अवमुक्त किए जाने संबंधी शासन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है। मा0 एन0जी0टी0 में उक्त वाद दिनांक 21.10.2019 को सुनवाई हेतु नियत है तथा अनुपालन आख्या मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन स्तर से दाखिल की जानी है।

उक्त के संबंध में सम्यक् विचरोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था से संबंधित है अतः परफार्मेंस गारण्टी के सम्बन्ध में कार्यवाही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा की जानी होगी। प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अधिरोपित परफार्मेंस गारण्टी के संबंध में अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा उसकी सूचना प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत की जाय।

**(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन)**

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए टैम्पलेट पर दिनांक 18.10.2019 तक सूचना/अनुपालन आख्या उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल आई.डी. ms@uppcb.com एवं ceo1@uppcb.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही–समस्त संबंधित विभाग)**

**ii. ओ0ए0 सं0–06/2012, मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य आदेश दिनांक–11.09.2019 (गाजियाबाद में यमुना नदी के प्रदूषण के संबंध में)**

(क). सीवेज मैनेजमेंट:-

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण यमुना नदी के जल प्रदूषण से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य का गाजियाबाद जनपद आच्छादित है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि नगर विकास विभाग एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा यमुना नदी में सीवेज निस्तारण नियंत्रित करने हेतु लघु एवं दीर्घ कालीन समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए, मुख्य सचिव द्वारा क्षेत्र के सीवर क्षेत्र, अन्सीवर्ड क्षेत्र एवं सीवर नेटवर्क में लीकेज की स्थिति का अनुश्रवण किया जाएगा, ऐसे सीवेज उपचार संयंत्र जिनके द्वारा मानकों की प्राप्ति नहीं की जा रही हो, का अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा तथा अन्तरिम शोधन व्यवस्था के रूप में बायो रेमिडियेशन/फाइटो रेमिडियेशन के माध्यम से शोधन विलम्बतम् दिनांक 01.01.2020 तक प्रारम्भ कर दिया जाए। मा0 अधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि साहिबाबाद ड्रेन, इन्दिरापुरी एवं बन्थला ड्रेन में उत्प्रवाह की वास्तविक स्थिति का मापन कराया जाए। इन्दिरापुरम स्थित एस0टी0पी0 के आउटफाल ड्रेन की क्षमता को बढ़ाये जाने के निर्देश मा0 अधिकरण द्वारा दिये गये हैं। साहिबाबाद ड्रेन में घरेलू एवं औद्योगिक उत्प्रवाह प्रवाहित होने के दृष्टिगत एस0टी0पी0 को तकनीकी रूप से उच्चीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कार्यरत एस0टी0पी0 की कमियों को 03 माह में निराकरण करने अन्यथा रू 5 लाख प्रति एस0टी0पी0 की दर से सी0पी0सी0बी0 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कराने हेतु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा सीवेज मैनेजमेन्ट से सम्बन्धित निर्माणाधीन कार्यो को पूरा न करने पर दिनांक 01.07.2020 से रू 10 लाख प्रतिमाह सी0पी0सी0बी0 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने तथा जहां निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नही हुआ है वहां दिनांक 31.12.2020 के पश्चात् विलम्ब हेतु रू 10 लाख/माह/एस0टी0पी0 की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के निर्देश दिये गये हैं।

बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि लोनी क्षेत्र में सैप्टेज मैनेजमेन्ट का कार्य चल रहा है। इसी प्रकार इन्दिरापुरम एस0टी0पी0 के आउटफाल ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाये जाने हेतु भी डीपीआर का अनुमोदन किया जा चुका है। साहिबाबा ड्रेन के एस0टी0पी0 को उच्चीकृत कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि साहिबाबाद ड्रेन के डिस्चार्ज का पुनः निर्धारण कराया जा चुका है। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि नगर विकास विभाग, उ0प्र0 जल निगम से सूचना का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 29.01.2019 द्वारा रूपये 10 करोड़ की परफार्मेंस गारण्टी जमा किए जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था जिसके संबंध में कार्यवाही नगर विकास विभाग से अपेक्षित थी। नगर

विकास विभाग द्वारा परफार्मेंस गारण्टी जमा न किए जाने के कारण मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2019 द्वारा 01 करोड़ रूपये की अतिरिक्त परफार्मेंस गारण्टी 01 माह के अन्दर जमा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परफार्मेंस गारण्टी जमा किए जाने की कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा की जानी होगी। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अधिरोपित परफार्मेंस गारण्टी के संबंध में अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। नगर विकास विभाग द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए टैम्पलेट पर दिनांक 18.10.2019 तक अनुपालन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

**(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन)**

**(ख). इण्डस्ट्रीयल वेस्ट मैनेजमेंटः–**

दोषी उद्योगों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही, उद्योगों की इन्वेन्ट्री एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। जिन उद्योगों/संस्थाओं द्वारा क्षतिपूर्ति जमा नहीं की जाती है, के विरूद्ध सहमति रिवोक कर जल अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही एवं भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए।

**(कार्यवाही–सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संबंधित जिलाधिकारी)**

**(ग). फ्लड प्लेन के चिन्हीकरण, बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण के संबंध में:–**

विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अगवत कराया गया कि यमुना नदी के फ्लड प्लेन का चिन्हीकरण किया गया है। प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के मध्य सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बायो डायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को रू0 36 करोड़ का भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग द्वारा मा0 एनजीटी के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा फ्लड प्लेन के चिन्हीकरण एवं अन्य बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

**(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन)**

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त विभागों द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए टैम्पलेट पर दिनांक 18.10.2019 तक उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई–मेल आई. डी. ms@uppcb.com एवं ceo1@uppcb.com पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

**(कार्यवाही–समस्त संबंधित विभाग)**

iii. ओ0ए0 सं0–116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्यूनिसिपल कार्पोरेशन व अन्य
आदेश दिनांक–27.09.2019

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा इस प्रकरण में निर्देशित किया गया है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा इस तथ्य का परीक्षण किया जाए कि किन परिस्थितियों में बिना संचालन हेतु सहमति प्राप्त करने वाले उद्योगों को मात्र स्थापनार्थ सहमति के आधार पर विद्युत कनेक्शन दिये गये तथा बिना केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण की पूर्वानुमति के ट्यूबवेल के प्रयोगों को अनुमन्य किया गया। मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की अनियमितताओं को राज्य स्तर पर रोके जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा समुचित मैकेनिज्म विकसित की जाए।

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेशों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त कर शासनादेश जारी कराये जाने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए।

**(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन)**

iv. ओ0ए0 सं0–606/2018 **Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016** में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को निम्न बिन्दु पर अनुपालन आख्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष माह नवम्बर तक प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में दिनांक 10.01.2020 को मा0 अधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर निम्न विषयों एवं मा0 अधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

- Compliance to **Solid Waste Rules** including **Legacy Waste**.
- Compliance to **Bio-medical Waste Rules**.
- Compliance to **C & D Waste**.
- Compliance to **Hazardous Waste Rules**.
- Compliance to **E-waste Rules**.
- **351 Polluter Stretches** in the country.
- **122 Non-attainment cities**.
- **100 industrial clusters**.
- Status of **STPs** and re-use of treated water.
- Status of **CETPs/ETPs** including performance.
- **Ground water** extraction/contamination and re-charge.
- **Air pollution including noise** pollution.

- **Illegal sand mining.**
- **Rejuvenation of water bodies.**

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त विषयों पर अनुपालन आख्या मा0 अधिकरण के आदेश में निर्धारित निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत की जानी है :–

- Current status
- Desirable level of compliance in terms of statutes.
- Gap between current status and desired levels.
- Proposal of attending the gap with time lines.
- Name and designation of designated officer for ensuring compliance to provisions under statute.

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ओ0ए0 सं0–606/2018 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 04.10.2019 में लिये गये निर्णय का संज्ञान लेते हुए मा0 अधिकरण के उक्त आदेश में सम्मिलित समस्त विषयों पर निर्धारित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या समस्त विभागों द्वारा विलम्बतम् एक सप्ताह में पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (ई–मेल **soenvups@rediffmail.com**) तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ई–मेल **ms@uppcb.com**, **ceo7@uppcb.com**) पर प्रस्तुत की जाए तथा पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा0 अधिकरण के आदेश में सम्मिलित विषयों पर अनुपालन आख्या संकलित की जाए।

कृत कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग :–

1. Compliance to **Solid Waste Rules** including **Legacy Waste**.:नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास विभाग
2. Compliance to **Bio-medical Waste Rules** :चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
3. Compliance to **C & D Waste** :नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन
4. Compliance to **Hazardous Waste Rules** : अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, एम.एस.एम.ई विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
5. Compliance to **E-waste Rules** :अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, एम. एस.एम.ई., श्रम विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6. **351 Polluter Stretches** in the country :सिंचाई, नगर विकास, वन विभाग, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

7. **122 Non-attainment cities** :आवास एवं शहरी नियोजन, परिवहन, नगर विकास, वन विभाग, ऑयल कम्पनीज, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
8. **100 industrial clusters** :अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, एम. एस.एम.ई., यू0पी0एस0आई0डी0सी0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
9. Status of **STPs** and re-use of treated water :नगर विकास विभाग
10. Status of **CETPs/ETPs** including performance: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, एम.एस.एम.ई., यू0पी0एस0आई0डी0सी0
11. **Ground water** extraction/contamination and re-charge: केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण
12. **Air pollution including noise**pollution :गृह विभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
13. **Illegal sand mining** :भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
14. **Rejuvenation of water bodies** :नगर विकास, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग

V. ओ0ए0 सं0– 985/2019, **In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re. Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh** में पारित आदेश दिनांक– 27.09.2019 में दिये गये निर्देशों के संबंध में:–

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा जस्टिस अरूण टण्डन, पूर्व न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मा0 अधिकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.09.2019 एवं 26.09.2019 में पाये गये तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त ओ0ए0 में निम्न आदेश जारी किये गये–

1- Chief Secretary, UP, may forthwith ensure steps for supply of drinking water to the residents in the affected area, apart from taking other remedial measures in the light of report of Justice Tandon in respect of Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, around the area of Chromium dump and earlier orders of this Tribunal.

2- Chief Secretary, UP, may ensure that untreated sewage is not discharged in River Ganga and pending a permanent solution, at least temporary arrangement by way of phytoremediation, bio-remediation or any other technology is done to disinfect/treat water before the same is discharged into the River Ganga.

3- The Chief Secretary, UP, may initiate necessary action against the Principal Secretary, Urban Development, UP, UP Jal Nigam, State PCB for their illegal action in permitting discharge of untreated sewage and effluents directly into River Ganga.

4- A compliance report may be filed in the matter within one month by email at judicial-ngt@gov.in

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर संबंधित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2019 की अनुपालन आख्या संबंधित विभागों द्वारा समय से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त ओ.ए. संख्या 985/2019 में दिनांक 27.09.2019 को पारित आदेश का समयबद्ध रूप से अनुपालन किए जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(क) रनिया, कानपुर देहात के कोमियम डम्प साईट के आस-पास के प्रभावित ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वर्तमान में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अकबरपुर द्वारा की जा रही जलापूर्ति जोकि अस्थाई रूप में है, की नियमित रूप से जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रभावित क्षेत्र में पाईप लाइन जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

**(कार्यवाही- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/जिलाधिकारी, कानपुर देहात)**

(ख) रनिया, कानपुर देहात के कोमियम डम्प साईट के आस-पास के प्रभावित ग्रामों में स्थापित चिन्हित हैण्ड पम्पों/नलकूप/बोरवेल जिनका जल पेय योग्य नहीं है, को सील किया जाये तथा उन पर जनसामान्य की जानकारी हेतु पेन्ट से यह भी लिख दिया जाये कि "जल पीने योग्य नहीं है" तथा उनका प्रयोग प्रतिबंधित किए जाने हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

**(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन/जिलाधिकारी, कानपुर देहात)**

(ग) खानचन्दपुर, रनिया-कानपुर देहात के कोमियम डम्प साईट के आस-पास के प्रभावित ग्रामों तथा राखी मण्डी-कानपुर नगर में हैल्थ चैकअप एवं सर्वेक्षण कर हैल्थ सर्वे रिपोर्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत की जाए।

**(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी-कानपुर देहात)**

(घ) राखीमण्डी, कानपुर नगर के स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु नगर निगम, कानपुर द्वारा की गयी व्यवस्था का पूर्ण विवरण तैयार कर 02 दिन के अन्दर प्रस्तुत

किया जाए यदि इस क्षेत्र में कोई हैण्ड पम्प/नलकूप/बोरवेल का जल पेय योग्य न हो तो उसको तत्काल सील किए जाने की कार्यवाही की जाए तथा उन पर जनसामान्य की जानकारी हेतु पेन्ट से यह भी लिख दिया जाये कि "जल पीने योग्य नहीं है"।

**(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर/जिलाधिकारी, कानपुर नगर)**

(ड) कानपुर नगर से जनित घरेलू जल/मल के शुद्धीकरण हेतु स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट एवं सी0ई0टी0पी0 को शीघ्र संचालित किया जाय। गंगा नदी में मिलने वाले नालों के बायो रेमिडिएशन हेतु की जा रही कार्यवाही का पूर्ण विवरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रस्तुत किया जाए। गंगा नदी में किसी भी दशा में अशुद्धीकृत उत्प्रवाह के निस्तारण न किया जाय तथा प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा कानपुर स्थित टैनरी इकाइयों की संगठनों के साथ बैठक कर कार्यवाही की जाए।

**(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)**

(च) खानचन्दपुर, रनिया– कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम के उपचार एवं डिस्पोजल हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी कार्ययोजना के अनुसार in-situ साईट पर उपचारित किए जाने की प्रथम फेज के अन्तर्गत अनुमानित लागत रूपये 23.44 करोड़ की धनराशि यूपीएसआईडीसी द्वारा उपलब्ध करायी जाये तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समन्वय स्थापित कर क्रोमियम स्लज के निस्तारण किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

**(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी/जिलाधिकारी, कानपुर देहात)**

प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा एम.एस.एम.ई. विभाग, यूपीएसआईडीसी, जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर ऐसे उद्योगों को चिन्हित किया जाए कि जिनके द्वारा अपना क्रोमियम वेस्ट को उक्त स्थल पर डम्प किया गया है तथा जॉच कर दोषी उद्योगों के विरूद्ध polluters pay principle के आधार पर पर्यावणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जाए।

**(कार्यवाही–प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/एम.एस.एम.ई. विभाग, उ0प्र0 शासन/निदेशक, उद्योग/प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी/जिलाधिकारी, कानपुर देहात/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड )**

उक्त ओ0ए0 में सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 04.11.2019 है तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 27.10.2019 से पूर्व अनुपालन आख्या ई–मेल "judicial-ngt@gov.in" के माध्यम से मा0 अधिकरण में प्रस्तुत की जानी है। मा0 अधिकरण द्वारा जारी उक्त निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 22.10.2019 की सायं 5:00 बजे तक साफ्ट कॉपी ई–मेल "soenvups@rediffmail.com, ngtcell@uppcb.com" के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

**(कार्यदाही –प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर/प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0/जिलाधिकारी, कानपुर देहात/सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई)**

3– अन्त में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया गया कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन में की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति का विवरण उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए जिससे समस्त सूचनाएं संकलित करते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को अवलोकित कराते हुए मा0 अधिकरण में अनुपालन एवं कार्यवाही आख्या मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के माध्यम से ससमय प्रेषित की जा सकें।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त प्रतिनिधियों को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत विभिन्न अपशिष्ट नियमों के अनुपालन तथा अनुश्रवण हेतु तैयार किये गये Three Tier Monitoring Mechanism से अवगत कराया गया तथा ऑनलाइन सूचना भरे जाने हेतु अनुश्रवण बैठक के दौरान मॉनीटरिंग मैकेनिज्म प्रदर्शित किया गया। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समस्त प्रतिनिधियों से यह भी अनुरोध किया गया कि फील्ड में अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक माह उक्त मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में ऑनलाइन सूचनाएं भरे जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या– N.G.T.535(2)/81–7–2019–44(रिट)/2016 टी0सी0

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त अनुभाग–7

लखनऊ : दिनांक : 19 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन (एम0एस0एम0ई0)/खाद्य एवं रसद/ग्राम्य विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/पंचायती राज/गृह/सिंचाई/भूतत्व एवं खनिकर्म/श्रम/चिकित्सा शिक्षा/आवास एवं शहरी नियोजन/न्याय/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

3– प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी, कानपुर।

4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

5– जिलाधिकारी,सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/शामली/मेरठ/बागपत/गाजियाबाद /कानपुर नगर/कानपुर देहात।

6– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

7– महाप्रबन्धक, उ0प्र0 गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जल निगम, कानपुर।

8– निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

9– नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।

10– मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात।

11– परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पूर्वी/पश्चिमी।

12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)

अनु सचिव।